राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दांडिक विविध द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1539/2016
साबित अली बनाम स्टेट आफ राजस्थान

दिनांक – 30.1.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री बीरीसिंह सिनसिनवार, वरिष्ठ अधिवक्ता
मय श्री ध्रुव अत्रै, अधिवक्ता प्रार्थी।
MS मीनाक्षी पारीक, लोक अभियोजक।

प्रार्थी ने यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर जमानत पर स्वतंत्र किये जाने की प्रार्थना की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना साईबर क्राईम जयपुर मेट्रो पर पंजीबद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2015 अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 66 सी व 66 डी आई.टी. एक्ट के मामले में अनुसंधान आरम्भ किया गया एवं अनुसंधान के दौरान प्रार्थी को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर दिया। तत्पश्चात प्रार्थी की ओर से इस न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8.12.2015 के द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं आरोप लगाये जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुन: जमानत प्रार्थनापत्र पेश करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। इसके उपरान्त प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-11, जयपुर महानगर ने आदेश दिनांक 25.1.2016 के द्वारा निरस्त कर दिया। अब प्रार्थी की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। उनका यह कथन है कि प्रार्थी को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है, उसका अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है, विचारण में समय लगेगा। अत: प्रार्थी को जमानत पर आजाद किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों का अवलोकन करने के उपरान्त मैं प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी को जमानत पर रिहा करना उपयुक्त समझता हूं।

अत: प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी साबित अली पुत्र मोहम्मद रासिद अली रुपये 2,00,000/- (अक्षरे दो लाख रुपये) का स्वयं का बंधपत्र एवं एक-एक लाख रुपये की राशि की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर पेश कर तस्दीक करावे कि वह विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश
All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.

SK Sharma
DR